समझौता ज्ञापन

यह समझौता ज्ञापन 16 जनवरी 2018 को पहले पक्ष के रूप में भारत के राष्ट्रपति की ओर से जिनका प्रतिनिधित्व श्री अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव (लाजिस्टिक्स), वाणिज्य विभाग द्वारा किया जा रहा है, और जब तक विषय या उसके संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और वारिस शामिल हैं :

और

दूसरे पक्ष के रूप में कनफिडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) जिसका प्रतिनिधित्व श्री आर दिनेश, अध्यक्ष, सीसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ लाजिस्टिक्स तथा प्रबंध निदेशक, टीवीएस लाजिस्टिक्स सर्विसेज लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, और जब तक विषय या उसके संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और वारिस शामिल हैं।

वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा कनफिडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) को इसमें सामूहिक रूप से पक्षों तथा व्यक्तिगत रूप से पक्ष के रूप में भी संदर्भित किया गया है।

प्रस्तावना

लाजिस्टिक्स में प्राथमिक रूप से सेवा घटक तथा विनियामक प्रक्रियाओं के साथ परिवहन के विभिन्न माध्यम तथा भंडारण के विकल्प शामिल होते हैं। लाजिस्टिक्स के प्रचालन में संपर्क तथा सुविधा वैश्विक व्यापार विकास को बनाए रखने की कुंजी हैं। रोड, रेल, वाटरवे तथा एयर नेटवर्क को शामिल करते हुए लाजिस्टिक्स अवसंरचना संपर्क स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाती है।

भारत में लाजिस्टिक्स की लागत विकसित देशों में 8-9 प्रतिशत की तुलना में जीडीपी का लगभग 13-14 प्रतिशत है जो बहुत अधिक है। भारत का विश्व बैंक लाजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक (एलपीआई) दर्शाता है कि भारत की एलपीआई रैंक 2014 में 54 से ऊपर उठकर 2016 में 35 पर पहुंच गई है। यह दर्शाता है कि कस्टम, अवसंरचना, इंटरनेशनल शिपमेंट, लाजिस्टिक्स की दक्षता, ट्रैकिंग एवं ट्रेसिंग, डिलीवरी की समय सीमा जैसे क्षेत्रों में प्रगति हुई है क्योंकि ये क्षेत्र ऐसे हैं जो अन्य देशों के साथ तुलनीय

हैं। देश के समग्र लाजिस्टिक्स निष्पादन में सुधार के लिए लाजिस्टिक्स सेक्टर का समेकित विकास आवश्यक है।

वाणिज्य विभाग में लाजिस्टिक्स प्रभाग का गठन करके सरकार ने लाजिस्टिक्स के निष्पादन में सुधार की दिशा में भावी संरचनात्मक परिवर्तनों की दिशा में कदम रखा है। लाजिस्टिक्स प्रभाग एक शीर्ष केन्द्र है जो राष्ट्रीय एकीकृत लाजिस्टिक्स नीति विकास तथा मंत्रालयों / विभागों से संबंधित विभिन्न लाजिस्टिक्स के साथ इंटर्फेस की धुरी है। अनेक ऐसी पहलें शुरू की गई हैं जो मल्टी माडल लाजिस्टिक्स में तालमेल स्थापित करने तथा समग्र निष्पादन में सुधार लाने के लिए लाजिस्टिक्स विकास योजना को लागू करने पर बल दे रही हैं।

दोनों पक्षों ने लाजिस्टिक्स क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के साथ काम करने के लिए वाणिज्य विभाग के लिए एक संस्थानिक तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन किया है।

अब इसके पक्षों द्वारा और उनके बीच एतद्द्वारा निम्नानुसार सहमति है :

1. बाध्यताएं / प्रतिबद्धताएं

1.1 वाणिज्य विभाग का लाजिस्टिक्स प्रभाग निम्नलिखित कार्य करेगा :

क. विभिन्न सरकारी विभागों तथा उद्योगों से प्रतिनिधियों को शामिल करके लाजिस्टिक्स कार्य समूह का गठन करना जिसके अध्यक्ष लाजिस्टिक्स प्रभाग से होंगे तथा उपाध्यक्ष सीआईआई इंस्टीट्यूट ऑफ लाजिस्टिक्स से होंगे।

ख. लाजिस्टिक्स कार्य समूह के माध्यम से परामर्श के आधार पर करणीय सिफारिशें प्राप्त करना।

ग. अंतर्मंत्रालयी समन्वय के माध्यम से करणीय सिफारिशों का अध्ययन करना, वैध बनाना, प्राथमिकता निर्धारित करना तथा कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना।

घ. विकास की पहलों तथा नीतिगत इनपुट के लिए उद्योग से फीडबैक प्राप्त करने एवं प्रदर्शित करने के लिए लाजिस्टिक्स प्रभाग के पोर्टल पर सुविधा प्रदान करना।

ङ. सीआईआई के साथ संयुक्त रूप से वार्षिक लाजिस्टिक्स सम्मेलन का आयोजन करना।

1.2 सीआईआई द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे :

क. सीआईआई सदस्यों, अन्य उद्योग संघों, सेक्टोरल / क्षेत्रीय उद्योग / व्यापार संघों आदि जो लाजिस्टिक्स कार्य समूह के उप समूह के रूप में सीआईआई से संबद्ध हैं, को शामिल करते हुए लाजिस्टिक्स समिति स्थापित करना / अनुकूलित करना।

ख. भारतीय उद्योग के साथ तथा पूरे देश में वाणिज्य विभाग की सहयोगी पहल के रूप में स्थापित किया जा रहा लाजिस्टिक्स कार्य समूह तथा उप समूह का संचालन एवं समन्वय सीआईआई द्वारा किया जाएगा ताकि (1) लाजिस्टिक्स निष्पादन के सभी पहलुओं पर उद्योग के साथ जीवंत एवं संकेन्द्रित भागीदारी को बढ़ावा मिल सके, (2) उपयुक्त ढंग से मुद्दों को उठाया जा सके और समाधानों का सुझाव दिया जा सके, जो आवश्यक कार्रवाई के लिए लाजिस्टिक्स प्रभाग द्वारा आवश्यक समझे जा सकते हैं, (3) राज्य सरकारों तथा लाजिस्टिक्स सेक्टर के विभिन्न घटकों सहित संबंधित एजेंसियों के साथ सहयोग स्थापित किया जा सके, (4) लाजिस्टिक्स सेक्टर के विकास और निष्पादन के संबंध में भारत सरकार की नीतियों को बढ़ावा देने के तरीकों एवं उपायों का पता लगाया जा सके, (5) सहयोगात्मक गतिविधियां संचालित की जा सके, जैसे कि क्षमता निर्माण कार्यक्रम, हितधारक फीडबैक और परस्पर सहमत संकेन्द्रित अध्ययन।

ग. लाजिस्टिक्स प्रभाग तथा इसकी गतिविधियों के बारे में उद्योग में जागरूकता पैदा करना।

वित्तीय :

जब तक सेवाओं के क्षेत्र को लागू करने के लिए पक्षकारों द्वारा लिखित रूप में विशेष रूप से अन्यथा सहमति नहीं होगी, प्रत्येक पक्ष इस एमओयू के तहत बाध्यताओं का निर्वाह करने की अपनी अपनी लागत वहन करेंगे। पक्षों के बीच यह सहमति हुई है कि इस एमओयू के तहत परिकल्पित उद्देश्यों एवं पहलों के अलावा, यदि दोनों पक्ष परस्पर सहमति के बाद कोई अन्य कार्यक्रम एवं पहल शुरू करना चाहते हैं जिसके वित्तीय प्रभाव होंगे, तो उस पर पक्षों के बीच चर्चा होगी तथा दोनों पक्ष ऐसे सभी कार्यक्रमों एवं पहलों के लिए अलग से एमओयू या करार निष्पादित करेंगे। कर, यदि कोई हो,

अतिरिक्त रूप में प्रभारित किए जाएंगे तथा प्रतिधारण कर, यदि कोई हो, संबंधित पक्ष द्वारा लागू कानूनों के अनुसार किसी वित्तीय लेनदेन पर काटा जाएगा। सीआईआई वाणिज्य विभाग के परामर्श से लाजिस्टिक्स सेक्टर के विकास से जुड़े चयनित पहलुओं पर परस्पर सहमत विषयों के लिए अध्ययनों को वित्त पोषित करेगा।

2. समाप्ति खंड :

प्रत्येक पक्ष को किसी भी समय दूसरे पक्ष को लिखित में तीन माह का लिखित नोटिस देकर समझौता ज्ञापन को समाप्त करने का अधिकार होगा। यदि किसी पक्ष द्वारा समझौता ज्ञापन को समाप्त किया जाता है तो यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि समाप्ति से कोई पिछली बाध्यता, परियोजना या गतिविधि जो पहले से प्रगति पर है, प्रभावित न हो।

3. संशोधन खंड : पक्षों के बीच लिखित करार द्वारा समझौता ज्ञापन को संशोधित किया जा सकता है।

इसके द्वारा इस बात पर सहमति है कि इस हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को किसी भी हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सर्वाधिकार क्षेत्र में रखा जा सकता है।

साक्ष्य में, इसके पक्षों ने यहां ऊपर उल्लिखित तिथि को इन विलेखों को निष्पादित किया है :

<table>
<tr><td>श्री अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव (लाजिस्टिक्स) द्वारा हस्ताक्षरित एवं डिलीवर किया गया (वाणिज्य विभाग, भारत सरकार की ओर से)

हस्ता/-
हस्ताक्षर

नई दिल्ली-110001</td><td rowspan="2">निम्नलिखित की उपस्थिति में

गवाह 1

हस्ता/-
हस्ताक्षर

अमन शर्मा,
निदेशक, लाजिस्टिक्स प्रभाग
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय</td></tr>
<tr><td>श्री के वी महिधर, कार्यपालक निदेशक, सीआईआई इंस्टीट्यूट ऑफ लाजिस्टिक्स</td></tr>
</table>

द्वारा हस्ताक्षरित एवं डिलीवर किया गया (सीआईआई की ओर से) हस्ता/- हस्ताक्षर नई दिल्ली-110001	गवाह 2 हस्ता/- हस्ताक्षर एस रघुपति उप महानिदेशक कनफिडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री